



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59685

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -  
2496/2026

सचिन कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: गीता कुशवाहा, सुनील कुमार कुशवाहा

विपक्षी के अधिवक्ता: नितिन कुमार श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार कुशवाहा; विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री नितिन कुमार श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह को सुना।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 57/2026, धारा 64(1), 351(2), 123 बी एन.एस., 2023, थाना - अलीनगर, जिला चंदौली के अंतर्गत, विचारण के समापन तक उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहते हैं :-
  - i. आवेदक को पीड़िता के चाचा की साजिश के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है, जिसके विरुद्ध आवेदक ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत एक मामला दर्ज कराया था, जो परिवाद वाद संख्या 11067/2025 है और जिसे मध्यस्थता केंद्र को संदर्भित किया गया है।
  - ii. यह झूठा मामला केवल आवेदक पर दबाव बनाने के लिए दर्ज किया गया है ताकि भुगतान के दायित्व से बचा जा सके।
  - iii. पीड़िता वयस्क है, और इसके लिए वह बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन स्थित उरई द्वारा दिनांक 10.03.2026 को जारी एक प्रमाण पत्र पर भरोसा करते हैं जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच की गई थी। यह पाया गया कि एस.आर. रजिस्टर/लीविंग सर्टिफिकेट के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 05.08.2005 थी। इस आधार पर, उनका तर्क है कि संबंधित तिथि पर पीड़िता वयस्क थी।
  - iv. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. दूसरी ओर, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पीड़िता लगभग 17 वर्ष की नाबालिग है। समर्थन में, वह पीड़िता के हाई स्कूल प्रमाण पत्र पर भरोसा करते हैं, जिसमें उसकी जन्म तिथि 14.09.2008 उल्लिखित है, और इसलिए, घटना की तिथि पर वह नाबालिग थी। श्री श्रीवास्तव ने आगे कहा कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) में स्पष्ट रूप से नामित है और उसके विरुद्ध बलात्कार के आरोप लगाए गए हैं। सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि आवेदक का यह आरोप कि एफ.आई.आर. उसके विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज मामले को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए दर्ज की गई थी, अभिलेख से पुष्ट नहीं होता है, क्योंकि एन.आई. एक्ट की धारा 138 की कार्यवाही में 4,25,000/- रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जो पीड़िता के भाई की देय राशि का आधा हिस्सा है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है वे पूरी तरह से कूटरचित हैं, क्योंकि पीड़िता के माता-पिता का विवाह वर्ष 2006 में हुआ था; इसलिए, किसी भी कल्पना से पीड़िता का जन्म वर्ष 2005 में नहीं हो सकता था। उन्होंने तर्क दिया कि अपराध गंभीर और जघन्य है, इसलिए आवेदक को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने श्री श्रीवास्तव द्वारा दिए गए तर्कों का समर्थन किया है।
6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
7. आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध एफ.आई.आर. 05.02.2026 को दर्ज कराई गई थी। आवेदक के विरुद्ध कथित घटना दिनांक 04.02.2026 की है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पीड़िता के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं दर्शाती है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में एकमात्र उल्लेखनीय निष्कर्ष यह है कि योनिच्छद (हाइमन) फटा हुआ है और हल्का शोध (इन्फ्लेमेशन) है। विवेचना के दौरान, पुलिस ने कथित घटनास्थल से कुछ कंडोम और एक उपयोग किया हुआ कंडोम बरामद किया। पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज अपने बयान में, जैसा कि विवेचना अधिकारी द्वारा केस डायरी में अंकित किया गया है, इस प्रकार बयान दिया है :-

"अवलोकन बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस .....पीड़िता ..... उम्र करीब 17 वर्ष के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान किया कि मेरी उम्र 18 वर्ष है पर पेपर में कम है मैं बी0ए0 की छात्रा हूँ। मैं सचिन से तीन साल से प्यार करती हूँ। मैं 04.02.26 को सुबह 10.00 बजे सचिन से मिलने गयी जयसवाल टावर के पास रूम में। पहले भी मैं सचिन से किराये वाले रूम में मिल चुकी हूँ। हम दोनों के बीच मेरी रजामंदी से शारीरिक सम्बन्ध बना है। 4.02.26 को मैं रूम में गयी तब मेरे मामा पीछे से आ गये और झूठा रेप का केश दर्ज करने को दबाव बनाया। सचिन ने कुछ नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से गयी थी। सचिन के साथ जाना चाहती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। कल भी मेरे पापा व बड़े पापा ने बहुत मारा मैं जाऊँगी तो जान से मार देंगे। यह मेरा बयान है। और कुछ नहीं कहना।"

(पीड़िता की पहचान गुप्त रखी जा रही है)

8. इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों से, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि पीड़िता के आवेदक के साथ सहमति से संबंध थे। यद्यपि पीड़िता का हाई स्कूल प्रमाण पत्र इंगित करता है कि वह 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग है, न्यायालय की राय में, केवल यही तथ्य आवेदक को जमानत के विचार से वंचित नहीं कर सकता है। पीड़िता की आयु

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लगभग 17 वर्ष बताई गई है, जो वयस्कता की दहलीज पर है। धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज उसके बयान से यह पता चलता है कि वह आवेदक के साथ सहमति से संबंध में थी और स्वयं को 18 वर्ष की आयु का होने का दावा करती है। आवेदक भी लगभग 23 वर्ष का एक युवा है। हालांकि, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत उसका बयान अभियुक्त द्वारा दी गई धमकियों के बाद दर्ज किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालौन स्थित उरई के समक्ष धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत उसका बयान फिर से दर्ज करने के लिए एक शिकायत की गई है, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने 11.03.2026 को आदेश पारित कर मामले को पॉक्सो (POCSO) न्यायालय के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

इस न्यायालय की राय में, एक बार जब संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा शपथ पर पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है, जिसमें उसने अपने पिता और चाचा द्वारा पीटे जाने के विशिष्ट आरोप लगाए हैं, तो धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत उसका दूसरा बयान दर्ज करने के बाद के आवेदन से आवेदक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मजिस्ट्रेट के समक्ष होने वाली गंभीर कार्यवाही, जिसमें पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है, को केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि आवेदक ने पीड़िता को यह कहकर धमकाया कि वह उसके द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो को वायरल कर देगा। आवेदन सूचनाकर्ता के हस्ताक्षरों के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसके विरुद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज बयान में शारीरिक हमले के आरोप लगाए गए हैं।

9. विद्वान विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट ने आवेदक के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए निम्नलिखित अवलोकन किया है:-

"स्पष्ट है कि जहाँ तक अग्रिम जमानत का प्रश्न है, इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी गजट उत्तर प्रदेश (संसदीय अनुभाग) संख्या 1410/वि०स०/संसदीय/130(सं)-2022 लखनऊ, 22 सितम्बर 2022 दाखिल किया है, जिसमें यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 में उपधारा (6) की उप उपधारा (5) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (अधिनियम संख्या 32 सन् 2012) से उद्भूत होने वाले अपराधों के अनुसार अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के लिए निषेधित किया गया है। अतः सरकारी गजट उत्तर प्रदेश संख्या 1410/वि०स०/संसदीय/130(सं)-2022 लखनऊ, 22 सितम्बर 2022 दाखिल किया है, जिसमें यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 में उपधारा (6) की उप उपधारा (5) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (अधिनियम संख्या 32 सन् 2012) से उद्भूत होने वाले अपराधों के अनुसार अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के लिए निषेधित किया गया है, उपरोक्त गजट को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर न जाते हुए प्रार्थी/अभियुक्त सचिन कुमार का अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य नहीं है।"

10. इस न्यायालय की राय में, विद्वान विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट द्वारा संदर्भित संशोधन उत्तर प्रदेश राज्य में संशोधित दं.प्र.सं. की धारा 438 के तहत दायर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों पर लागू होता है। बी.एन.एस.एस., 2023 के लागू होने के बाद से, ऐसा कोई संशोधन इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है जो पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधों या अन्य यौन अपराधों के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के संचालन को वर्जित करता हो, सिवाय बी.एन.एस. की धारा 65 और धारा 70(2) के।

#### अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. इस न्यायालय की राय में, आवेदक के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर उसके अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था, और उक्त संशोधन के आधार पर उस पर विचार करने से इनकार करना स्पष्ट रूप से अवैध था।
12. इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और यह देखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ।
13. आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
14. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- सचिन कुमार की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
  - i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
  - ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
  - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
  - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;
15. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
16. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(राजिव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

23 मार्च, 2026

कुशल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"